राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 175–दो/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–11–2015	आवेदक शासन एवं अनावेदक कमांक 3 एवं 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि उनके पूर्व अधिकारी द्वारा दिनांक 24–9–12 को आदेश पारित करने में कलेक्टर को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि कलेक्टर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन भी आदेश पारित करने में नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि देवस्थान श्री खाण्डेराव मंदिर के नाम पर तथा व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम अंकित है, जिसे अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अतः स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा चाही गई प्रकरण कमांक 47/06–07 में पारित आदेश दिनांक 24–9–12 के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

	म0प्र0शासन द्वार कलेक्टर जिला इन्दौर वि0 मूलचन्द	
दि 24.7.2013	1– प्रकरण प्रस्तुत । 2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला इन्दौर की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री हेमन्त मुंगी द्वारा संहिता की धारा 51 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 47/06–07 अपील में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/09/12 को पुनर्विलोकित किये जाने का निवेदन किया गया । 3–शासकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रकरण में म0प्र0 शासन तर्फे कलैक्टर आवश्यक पक्षकार थे किन्तु उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के विपरीत है । प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों का भी पालन पारित आदेश में नहीं किया गया है । वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि देवस्थान श्री खाण्डेराव मंदिर के नाम पर तथा व्यवस्थापक के रुप में कलेक्टर का नाम अंकित है । जिसकी अनदेखी की गई है । अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 24/9/2012 का पुनर्विलोकन कर पुनः प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जाये । 4–शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन मेमो एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर गंभीरता से मनन किया गया । 5–मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/9/12 का पुनर्विलोकन करने हेतु संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है । अपर आयुक्त इन्दौर सम्भाग, इन्दौर	